तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
27.12.22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं. अप्रार्थीगण 7 लगायत 22 के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को रूक-रूक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	प्रतिवादी 1 से 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान-सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

ीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

ा संख्या– 180/22 प्रा०पत्र

ी जितेन्द्र कुमार S/o श्री विश्वनाथ ओझा निवासी-भूपालगंज भीलवाड़ा तहसील-भीलवाड़ा हाल मि० 25, जमुना विहार हरणी महादेव रोड (भीलवाड़ा)

–प्रार्थी

बनाम

ी सोहन लाल S/o श्री माधव लाल ब्राह्मण निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (वगैरा) (मुख्तांकित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 27.12.22

::आदेश::

ी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 8215 कुल किता 01 रकबा 0.4047 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.08.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का री हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 8215 किता 01 रकबा 0.4047 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख क माण्डल को 500/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने क्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार र पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

लिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा